सत्यमेव जयते

सप्तदश बिहार विधान सभा

की

निवेदन समिति

का

षष्ठम प्रतिवेदन

सप्तदश बिहार विधान सभा के सत्र में प्राप्त पंचायती राज विभाग से संबंधित निवेदन संख्या 299/21 पर प्रतिवेदन ।

(दिनांक 28.06.2022 ई0 को सदन में उपस्थापित) ।

विषय–सूची

			पृष्ठ
1. निवेदन समिति के सदस्यों की सूची	..	..	क
2. सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची	..	..	ख
3. प्राक्कथन	..	..	ग
4. प्रतिवेदन	..	..	1–2
5. परिशिष्ट	..	..	3–5

बिहार विधान सभा सचिवालय

सप्तदश बिहार विधान सभा का वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये गठित निवेदन समिति के माननीय सदस्यों की सूची—

सभापति

1.	श्री विनोद नारायण झा (32)	स०वि०स०

सदस्यगण

1.	श्री पन्ना लाल सिंह पटेल (150)	स०वि०स०
2.	श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (20)	स०वि०स०
3.	श्री राहुल तिवारी (198)	स०वि०स०
4.	श्री बच्चा पाण्डेय (110)	स०वि०स०
5.	श्री राम विलास कामत (42)	स०वि०स०
6.	श्री अजय कुमार सिंह (166)	स०वि०स०
7.	ई० शशि भूषण सिंह (11)	स०वि०स०
8.	श्री छोटे लाल राय (121)	स०वि०स०
9.	श्री कुंदन कुमार (146)	स०वि०स०
10.	श्री राजीव कुमार सिंह (164)	स०वि०स०
11.	श्री श्रीकान्त यादव (113)	स०वि०स०

बिहार विधान सभा सचिवालय

सभा सचिवालय के पदाधिकारीगण एवं कर्मचारीगण

1.	श्री शैलेन्द्र सिंह	सचिव
2.	श्री पवन कुमार पाण्डेय	संयुक्त सचिव
3.	श्री पवन कुमार सिन्हा	उप–सचिव
4.	श्री (मो0) शमीम अहमद	अवर–सचिव
5.	श्री सुधीर कुमार सिंह	प्रशाखा पदाधिकारी
6.	श्रीमती रूशदा रहमान	प्रशाखा पदाधिकारी
7.	श्रीमती प्रेरणा कुमारी	सहायक
8.	श्री प्रवीण कुमार	सहायक

प्राक्कथन

मैं सभापति, निवेदन समिति, बिहार विधान सभा की हैसियत से सप्तदश बिहार विधान सभा में पंचायती राज विभाग से संबंधित निवेदन पर निवेदन समिति का षष्ठम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

निवेदन के संबंध में विचार–विमर्श तथा कार्यान्वयन मुख्य समिति के द्वारा किया गया है।

प्रतिवेदन तैयार करने में पूरी निष्ठा और समर्पण से सहयोग करने के लिये समिति के सभी माननीय सदस्यों, सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ।

विनोद नारायण झा,
सभापति,
निवेदन समिति,
बिहार विधान सभा, पटना।

प्रतिवेदन

श्री (मो0) आफाक आलम, स0वि0स0 से प्राप्त निवेदन संख्या 299/21

पूर्णियाँ जिला के कसबा, श्रीनगर, जलालगढ़ प्रखंड सहित अन्य प्रखंडों में ग्राम कचहरी न्यायमित्र एवं सचिव के रिक्त पदों पर नवनियुक्त ग्राम कचहरी न्यायमित्र एवं सचिव की नियुक्ति फरवरी, 2019 में की गई है। उक्त कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद आजतक मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। जिलाधिकारी पंचायती राज पदाधिकारी, पूर्णियाँ के पत्रांक 5199/पं0रा0, दिनांक 21 अगस्त, 2019, पत्रांक 777/जि0पं0, दिनांक 23 जुलाई, 2020, पत्रांक 991/जि0पं0, दिनांक 29 सितम्बर, 2020 को उप–सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को पत्र भेजा गया है फिर भी मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है।

अतएव उक्त नवनियुक्त न्यायमित्र/सचिव का मानदेय का भुगतान हेतु सदन के माध्यम से निवेदन किया गया है। (परिशिष्ट–1)

श्री (मो0) आफाक आलम, स0वि0स0 के उपर्युक्त विषयक निवेदन को सदन की सहमति के उपरान्त प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना को सभा सचिवालय के पत्रांक 2838, दिनांक 25 जून, 2021 (परिशिष्ट–2) द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया।

पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक 5830, दिनांक 4 अक्टूबर, 2021 (परिशिष्ट–3) द्वारा इस निवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। इस अनुपालन प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 में ग्राम कचहरी सचिव एवं न्यायमित्र के मानदेय/नियत फीस एवं बकाया मद में भुगतान हेतु विभागीय आवंटनादेश संख्या 24(आ0), दिनांक 8 अगस्त, 2019 द्वारा पूर्णियाँ जिला को कुल रुपया 3,93,55,640.00 (तीन करोड़ तिरानवे लाख पचपन हजार छः सौ चालीस रुपये) मात्र की राशि आवंटित किया गया है। उक्त आवंटित राशि का भुगतान किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में ग्राम कचहरी सचिव एवं न्यायमित्र के मानदेय/नियत फीस का भुगतान हेतु विभागीय आवंटनादेश संख्या 14(आ0), दिनांक 8 मई, 2020 द्वारा पूर्णियाँ जिला में 194 कार्यरत ग्राम कचहरी सचिव एवं 185 कार्यरत न्यायमित्रों को वित्त विभाग के बंधेज अधिसीमा कुल बजट के अधिसीमा कुल बजट के 33 प्रतिशत की राशि रुपया 1,72,13,000.00 (एक करोड़ बहत्तर लाख तेरह हजार रुपये) मात्र आवंटन दिया गया है। उक्त आवंटित राशि का भुगतान किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में ग्राम कचहरी सचिव एवं न्यायमित्र के मानदेय/नियत फीस का भुगतान DBT/CFMS के माध्यम से राशि रुपया 1,87,37,000.00 (एक करोड़ सतासी लाख सैंतीस हजार रुपये) मात्र पूर्णियाँ जिला के कुल 207 कार्यरत ग्राम कचहरी सचिव एवं 217 कार्यरत न्यायमित्रों के भुगतान हेतु स्वीकृति की गई है। स्वीकृत्यादेश की छायाप्रति संलग्न है।

समिति का निर्णय

दिनांक 27 जनवरी, 2022 को समिति की बैठक हुई। समिति की बैठक में विभागीय उत्तर प्रतिवेदन ज्ञापांक 5830, दिनांक 4 अक्टूबर, 2021 के आलोक में निवेदन संख्या 299/21 को कार्यान्वित मान लिया गया।

परिशिष्ट–1

श्री (मो0) आफाक आलम, स0वि0स0 से प्राप्त निवेदन संख्या 299/21

पूर्णियाँ जिला के केनगर, कसबा, श्रीनगर, जलालगढ़ प्रखंड सहित अन्य प्रखंडों में ग्राम कचहरी न्यायमित्र एवं सचिव के रिक्त पदों पर नवनियुक्त ग्राम कचहरी न्यायमित्र एवं सचिव की नियुक्ति फरवरी, 2019 में की गई है। उक्त कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद आजतक मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। जिलाधिकारी पंचायती राज पदाधिकारी, पूर्णियाँ के पत्रांक 5199/पं0रा0, दिनांक 21 अगस्त, 2019, पत्रांक 777/जि0पं0, दिनांक 23 जुलाई, 2020, पत्रांक 991/जि0पं0, दिनांक 26 सितम्बर, 2020 को उप–सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को पत्र भेजा गया है फिर भी मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है।

अतएव उक्त नवनियुक्त न्यायमित्र/सचिव का मानदेय का भुगतान हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ।

परिशिष्ट–2

सं0 2 नि0–299/2021/2838/वि0स0

बिहार विधान सभा सचिवालय

प्रेषक

श्री अरविन्द कुमार मिश्र,
अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

सेवा में

प्रधान सचिव,
पंचायती राज विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना, दिनांक 23 जून, 2021 (ई0)।

विषय—सदन में प्रस्तुत किये गये निवेदन संख्या 299/2021 का उत्तर भेजने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली के नियम 292(घ) के अन्तर्गत श्री (मो0) आफाक आलम, स0वि0स0 द्वारा प्रस्तुत एवं सभा द्वारा दिनांक 9 मार्च, 2021 को पारित निवेदन को पार पृष्ठ पर अंकित करते हुये आपसे अनुरोध करना है कि पत्र प्राप्ति के 10 दिनों के अन्दर वांछित उत्तर माननीय सदस्य को भेज दिया जाये तथा उसकी एक प्रति सचिव, बिहार विधान सभा को निश्चित रूप से निवेदन समिति के विचारार्थ उपलब्ध कराने की कृपा की जाये।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाये।

विश्वासभाजन,
अरविन्द कुमार मिश्र,
अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

परिशिष्ट–3

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

श्री (मो0) आफाक आलम, स0वि0स0 से प्राप्त निवेदन संख्या 299/21

निवेदन—पूर्णियाँ जिला के केनगर, कसबा, श्रीनगर, जलालगढ़ प्रखंड सहित अन्य प्रखंडों में ग्राम कचहरी न्यायमित्र एवं सचिव के रिक्त पदों पर नवनियुक्त ग्राम कचहरी न्यायमित्र एवं सचिव की नियुक्ति फरवरी, 2019 में की गई है। उक्त कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद आजतक मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। जिलाधिकारी पंचायती राज पदाधिकारी, पूर्णियाँ के पत्रांक 5199/पं0रा0, दिनांक 21 अगस्त, 2019, पत्रांक 777/जि0पं0, दिनांक 23 जुलाई, 2020, पत्रांक 991/जि0पं0, दिनांक 26 सितम्बर, 2020 को उप–सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को पत्र भेजा गया है फिर भी मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है।

अतएव उक्त नवनियुक्त न्यायमित्र/सचिव का मानदेय का भुगतान हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ।

सरकारी वक्तव्य

वित्तीय वर्ष 2019–20 में ग्राम कचहरी सचिव एवं न्यायमित्र के मानदेय/नियत फीस एवं बकाया मद में भुगतान हेतु विभागीय आवंटनादेश संख्या 24(आ0), दिनांक 8 अगस्त, 2019 द्वारा पूर्णियाँ जिला को कुल रुपया 3,93,55,640.00 (तीन करोड़ तिरानवे लाख पचपन हजार छः सौ चालीस रुपये) मात्र की राशि आवंटित किया गया है। उक्त आवंटित राशि का भुगतान किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में ग्राम कचहरी सचिव एवं न्यायमित्र के मानदेय/नियत फीस का भुगतान हेतु विभागीय आवंटनादेश संख्या 14(आ0), दिनांक 8 मई, 2020 द्वारा पूर्णियाँ जिला में 194 कार्यरत ग्राम कचहरी सचिव एवं 185 कार्यरत न्यायमित्रों को वित्त विभाग के बंधेज अधिसीमा कुल बजट के 33 प्रतिशत की राशि रुपया 1,72,13,000.00 (एक करोड़ बहत्तर लाख तेरह हजार रुपये) मात्र आवंटन दिया गया है। उक्त आवंटित राशि का भुगतान किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में ग्राम कचहरी सचिव एवं न्यायमित्र के मानदेय/नियत फीस का भुगतान DBT/CFMS के माध्यम से राशि रुपया 1,87,37,000.00 (एक करोड़ सतासी लाख सैंतीस हजार रुपये) मात्र पूर्णियाँ जिला के कुल 207 कार्यरत ग्राम कचहरी सचिव एवं 217 कार्यरत न्यायमित्रों के भुगतान हेतु स्वीकृत की गई है। स्वीकृत्यादेश की छायाप्रति संलग्न है।

बि0स0मु0, 98(एल0ए0), 2022–23–डी0टी0पी0–300

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2022